रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 1993/ज्येष्ठ 18, 1915
No. 333] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 1993/JYAISTHA 18, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 1993

का. आ. 363 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिसमें इसमें निर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम है;

घोषणा

पंजाब राज्य के 4-जलंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि:—

उमराव सिंह (नाम)

सुपुत्र श्री बख्तावर सिंह

ग्राम और डा. खा. बदाला तहसील और जिला जलंधर (पता) को, जिन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल का नाम) ने खड़ा किया है, यश की मृत्यु के के कारण 4 जलंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिक्त घोषित किए जाने पर उस सदन में हुए रिक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है।

स्थान : जलंधर

तारीख 22-5-1993

हस्ताक्षर

(एस० के० कक्कड़),

रिटर्निंग आफिसर

4-जलंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

[सं 13(5)/93 वि. II]

पी० एल० सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 1993

S.O. 363(E).—In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein, is published for general information :

DECLARATION

Election to the House of the People from the 4-Jalandhar parilamentary constituency in Punjab State.

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :—

UMRAO SINGH (Name)

Son of Shri Bakhatawar Singh,

V. & P.O. Wadala Teh, and District Jalandhar (Address)

Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (Name of the recognised political party) has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the death of YASH Seat of 4-JALANDHAR PARLIAMENTARY CONSTITUENCY having been declared vacant.

Sd.|-

Place : Jalandhar
Dated : 22-5-1993.

S. K. KAKAR, Returning Officer
4-Jalandhar Parliamentary Constituency."

[No. 13(5)|93-Leg. II]

P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993